प्रेषक : कुलकर्णी, प्रवीण <praveenkulkarni@rbi.org.in>

तिथि : बृहस्पतिवार, 28 दिसंबर 2017 6:16 PM +530

विषय : 14 नवंबर 2017 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना – लाजिस्टिक्स सेक्टर को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना

सेवा में : splsecy.og@gov.in <splsecy.log@gov.in>

सीसी : "mrutyunjay.b@nic.in" < mrutyunjay.b@nic.in" Bhatnagar, sekar" <shekharbhatnagar@rbi.in>, "khare, Vandana" vkhare@rbi.org.in, "Greval, Harpreet Singh" <hsgrewal@rbi.org.in>

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को संबोधित अपने अर्धशासकीय पत्र संख्याव 52/एसएस (लॉग)/2017 दिनांक 20 दिसंबर 2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. जैसा कि आप जानते हैं कि उपर्युक्त पत्र बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करने पर स्पष्टीकरण के लिए आर्थिक कार्य विभाग के आईपीपी अनुभाग द्वारा रिजर्व बैंक को संदर्भित किया गया है। इस सिलसिले में कृपया यह सूचना ग्रहण करें कि अवसंरचना उप क्षेत्र (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) की सामंजस्यपूर्ण सूची में किसी नए उप क्षेत्र का समावेशन अपने आप ऐसे क्षेत्रों की कंपनियों को वर्तमान ईसीबी रूपरेखा के तहत ईसीबी तैयार करने के लिए पात्र बनाता है। इस प्रकार इस मामले में रिजर्व बैंक से किसी और परिपत्र / अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

सादर,

प्रवीण कुलकर्णी
प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग
+ 91 22 2260 1000(बोर्ड लाइन)
विस्तार : 2696